9/3/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील
और हाजिरान प्रार्थी व प्रार्थी वकील को
ऊंचे स्वर बार-बार आवाज लगाई
गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद
भी प्रार्थी व प्रार्थी वकील और हाजिर न
तारीखा वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी
में खारिज किया जा चुका है। अत: TI प्रार्थना
पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है।
लिहाजा प्रार्थी का TI प्रार्थना-पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा
नम्बर से कम होकर शामिल मूल
वाद हो